DoIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः—F2(204)/DoIT&C/2022/ जयपुर, दिनांकः

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना कमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण कमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)वित्त/नियम/2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल—10 में स्वीकृत की जाती हैः—

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	W-737	महेन्द्र कुमार नागर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति— छबड़ा, बारां	22.08.2016	22.08.2025	09 वर्ष की एपीआर की जांच के आधार पर
2	2718	रेणुका रॉय	निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर	26.09.2013	26.09.2025	तीसरी संतान होने के कारण प्रथम चयनित वेंतनमान में तीन वर्ष अभिवृद्धि
3	W-2189	राधेश्याम	राजकीय उपजिला चिकित्सालय, परबतसर, डीडवाना—कुचामन	29.08.2016	29.08.2025	09 वर्ष की एपीआर की जांच के आधार पर

* उपरोक्त सारणी तथा क्र. स. 1 व 3 पर अंकित सूचना सहायको के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है, कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्याकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उक्त सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हेः—

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नही की गई है।
3. इनके विरूद्व सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक सीसीए नियमों के तहत किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नही किया गया है।
5. गत सेवाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित कार्मिक.......................... ।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally Signed by
Rameshwar Lal Solanki
Designation : Head Of Office
Date :18-12-2025 10:30:14

RajKaj Ref No.: 19408059
eSign DSC